bdkbl 5 Lor=rk d: ckn f'k{kk vk;kx vkj uhfr;k

: i j;[kk

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 शिक्षा आयोग : एक विहंगावलोकन

- 5.3.1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)
- 5.3.2 माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)
- 5.3.3 शिक्षा आयोग (1964–66)
- 5.3.4 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2009)

5.4 प्रमुख शिक्षा नीतियाँ

- 5.4.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)
- 5.4.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
- 5.4.3 संशोधित कार्य योजना (1992)

5.5 समता और निष्पक्षता के लिए विद्यालय

- 5.5.1 सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली
- 5.5.2 प्रतिवेशी विद्यालय
- 5.5.3 वैकल्पिक विद्यालय

5.6 प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण

- 5.6.1 सर्व शिक्षा अभियान

5.7 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005

5.8 पंचवर्षीय योजनाएँ और प्रारंभिक शिक्षा

5.9 शिक्षा आयोग और नीतियाँ : एक समीक्षा

- 5.9.1 प्रारंभिक शिक्षा – एक उपेक्षित क्षेत्र
- 5.9.2 बदलता हुआ राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य
- 5.9.3 नव उदारवादी नीतियों का परिचय
- 5.9.4 विद्यालयी शिक्षा में सतत् चुनौतियाँ

5.10 सारांश

5.11 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन सामग्री

5.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

5-1 ÁLrkouk

हमारे देश में शिक्षा के अवसर कैसे सुधारे जा सकते हैं? गरीब और सीमांत बच्चे गुणवत्ता शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनके भावी जीवन की संभावनाओं और उन समाजों के विकास के लिए शिक्षा का महत्व कैसे हो सकते हैं, जिनमें वे रहते हैं? शिक्षा नीतियों का सार इन चुनौतीपूर्ण प्रश्नों और वाद–विवाद के इर्द–गिर्द में घूमता है। शिक्षा नीतियाँ, शिक्षा प्रणालियों में क्रमबद्ध परिवर्तन करने के विकल्प पर भी ध्यान केन्द्रित करती हैं।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा आयोगों और नीतियों पर चर्चा, इस इकाई का विषय है। इकाई में शिक्षा पर वाद–विवादों का विश्लेषण किया गया है और जिससे हम शिक्षा में राज्यों की भूमिका, राज्य शिक्षा नीति, और राज्य नीति में आई चुनौतियों के बारे में समझ सकते हैं। शिक्षा में समता, निष्पक्षता और गुणवत्ता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किए गए प्रमुख उपक्रमों को समझने और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाइयों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

5-2 mís';

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आपः

- भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विकास के प्रावधानों को समझ सकेंगे;
- प्रारंभिक शिक्षा के लिए की गई सिफारिशों (संस्तुतियों) और कार्रवाइयों के मध्य सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे;
- विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के बारे में जान सकेंगे;
- सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्य नीति को सविस्तार प्रतिपादित कर सकेंगे;
- समता, निष्पक्षता और गुणवत्ता के लक्ष्य प्राप्त करने में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कर सकेंगे; और
- सभी को विशेषकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रभावकारी तरीके सुझा सकेंगे।

5-3 f'k{kk vk;kx % ,d fogxkoykdu

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में शिक्षा सम्बन्धी स्थिति बहुत निरानंद थी। ब्रिटिश शासन के अधीन जो कुछ भी प्राप्त हुआ था, उसके बावजूद, हमने लगभग सभी पहलुओं में शिक्षा में उपलब्धि के बहुत निम्न स्तर पर अपनी स्वतंत्रता प्रारंभ की। उस समय 17 विश्वविद्यालय और 636 महाविद्यालय (जिनमें कुल 2,38,000 विद्यार्थी थे), 8,70,000 विद्यार्थियों के साथ 5,297 माध्यमिक विद्यालयों (जिसका आशय है कि 14–17 वर्ष के आयु वर्ग में प्रत्येक बीस में से एक युवक तक भी विद्यालय में नहीं था), दो मिलियन विद्यार्थियों के साथ 12,843 मिडिल विद्यालय (जिसका अभिप्राय है कि 11–14 वर्ष के आयु वर्ग के नामांकित में से प्रत्येक 11 में केवल एक बच्चा था) और 14 मिलियन विद्यार्थियों के साथ 1,72,661 प्राथमिक विद्यालय (जिसका आशय है कि विद्यालय में 6–11 वर्ष के आयु वर्ग में प्रत्येक तीन में से केवल एक बच्चा था) थे। विद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों अवस्थाओं में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा निम्न स्तर पर विकसित की गई और उच्च स्तरीय प्रशिक्षित विज्ञान जनशक्ति की आपूर्ति बहुत सीमित थी। शैक्षिक असमानताएँ, विशेषकर एक प्रदेश और दूसरे के मध्य, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य, पुरुषों और महिलाओं के मध्य, उन्नत और मध्यम जातियों के मध्य एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मध्य बहुत अधिक थी। साधारणतया शिक्षा का स्तर असंतोषजनक था, विशेषकर विद्यालय स्तर में, अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। गणित, विज्ञान या भारतीय भाषाओं पर बहुत कम जोर दिया जाता था। साक्षरता केवल 14 प्रतिशत था और शिक्षा पर कुल व्यय केवल लगभग 570 मिलियन रुपये या राष्ट्रीय आय का आधे प्रतिशत से भी कम था। यह चुनौतीपूर्ण स्थिति थी जिसमें सरकार को सुधार करना आवश्यक था, जब उसने सन् 1947 में नियति के साथ उसकी परियुक्ति को रखा था।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता के फलस्वरूप समस्याओं का विश्लेषण करने तथा आगे उपाय सुझाने के लिए कई समितियों और आयोगों का गठन किया गया। यह अनुभव किया गया कि विश्वविद्यालय, विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह सुझाव दिया गया था कि विश्वविद्यालय का कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण था और नेतृत्व की दृष्टि से आवश्यक था, उनसे राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योगों और वाणिज्य में प्रदान करने की आशा की गई थी। उनसे विज्ञान और तकनीकी ज्ञान विकसित कर देश को अभाव, रोग और अज्ञानता से स्वतः मुक्त होने में सक्षम बनने की आशा की गई थी। इसलिए, सबसे पहला गठित आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था।

5-3-1 fo'ofo|ky; f'k{kk vk;kx ¼1948&49½

स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर पहला आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) था। इसका मुख्य बल उच्चतर शिक्षा पर था परंतु इसने विद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की। आयोग आधुनिक युग के महान दृष्टा, डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था।

राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर उच्चतर शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य परिभाषित किए। विश्वविद्यालय का लक्ष्य ऐसे योग्य नागरिक उत्पन्न करना होना चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का पालन कर सकें।

विश्वविद्यालय को विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों में योग्य प्रशासक और उपयुक्त कामगार तैयार करना था। विश्वविद्यालय को राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ हित में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करना है।

आयोग ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए मानदंड वर्तमान इंटरमीडिएट परीक्षा अर्थात् स्कूल इंटरमीडिएट कालेज में 12 वर्ष के अध्ययन के बाद के तदनुरूप होना चाहिए। उसने टिप्पणी की कि "हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक तंत्र में सबसे अधिक दुर्बल कड़ी है और तत्काल सुधार आवश्यक है।" आयोग ने उल्लेख किया कि विद्यालय की शिक्षा का कार्य अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना है, आयोग ने आगे अच्छी शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट किया हैः "जो केवल विश्वविद्यालय कार्य के लिए विद्यार्थी तैयार नहीं करेंगे बल्कि उसे अपनी जीविका अर्जन के लिए एवं व्यावहारिक कार्य के लिए भी तैयार करेंगे, यदि वह आगे विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहता है।"

आयोग ने सुझाव दिया कि विद्यालय और विश्वविद्यालय के कार्य भिन्न–भिन्न होने चाहिए। विद्यालय का कार्य उन्हें उपयुक्त शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए, जो उच्चतर शिक्षा में प्रवेश लेते हैं और उन्हें भी जिनका आगे पढ़ने का इरादा नहीं है। दोनों वर्गों की शिक्षा एक साथ सम्मिश्रित होनी चाहिए, जबकि कुछ विद्यालयों को कृषि उद्योग और वाणिज्य में कार्य करने के लिए कुछ विद्यार्थी तैयार करने चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विद्यालय में सामान्य शिक्षा के प्रवर्तन पर बल दिया। आयोग स्पष्ट रूप से चाहता था कि विद्यालय अपने परिणामों को इस प्रकार विविधतापूर्ण बनाएगा कि बहुत से अपने कार्यों या स्वरोजगार अपनाकर वास्तविक जीवन में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें और केवल कुछ ही विद्यालय के बाद अध्ययन जारी रख सकें।

5-3-2 ekè;fed f'k{kk vk;kx ¼1952&53½

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उच्चरित शिक्षा की समस्याओं पर राष्ट्रीय आयोग अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) और शिक्षा आयोग (1964–66) द्वारा उच्चरित किया गया। दोनों आयोगों ने परिवर्तित सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में महात्मा गाँधी के शिक्षा–दर्शन से प्रकट होने वाले विषयों पर सविस्तार प्रतिपादित किया जिसमें राष्ट्रीय

विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, NCF, 2005, पृ.3)। विद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सन् 1952 में डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में एक पृथक शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग की रिपोर्ट (1952) ने इस बात पर बल देते हुए "लोकतांत्रिक नागरिकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका की संकल्पना की गई थी कि, लोकतंत्र के विश्वास पर और प्रत्येक "व्यक्ति" के सम्मान और महत्व पर आधारित है, जहाँ स्वाभाविक महत्व पूर्णता, आर्थिक, प्रजातीय, या सामाजिक विचार निस्तेज नहीं कर सकते हैं (माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952, पृ.20)।"

उसमें उल्लेख किया गया है कि, "लोकतंत्र में नागरिकता में बहुत से बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक गुण अंतर्निहित हैं .... लोकतांत्रिक नागरिक को सत्यता से असत्यता, तथ्यों से प्रचार में अंतर करने और कट्टरवाद तथा पूर्वग्रह की खतरनाक अपील अस्वीकार करने के लिए बौद्धिक सत्यनिष्ठा और समझ होनी चाहिए .... (माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952, पृ.19)। उसमें ऐसे शिक्षा अवसरों की आवश्यकता का भी आह्वान किया गया है जो सामाजिक न्याय के लिए मनोग्तवा को मूर्त रूप दे सकें।"

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन् 1953 में प्रस्तुत की, जिसने माध्यमिक शिक्षा के प्रायः सभी पहलुओं पर सिफारिशें की थी। आयोग की मुख्य सिफारिशें थीं:

- उच्चतर माध्यमिक प्रणाली की स्थापना;
- विविधीकृत पाठ्यक्रम;
- शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर बल;
- शिक्षण की विधियों, पाठ्यपुस्तकों और परीक्षा प्रणालियों में सुधार; और
- भवन एवं उपकरणों में सुधार।

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की तीन वर्षीय राष्ट्रीय प्रणाली (प्रारंभिक शिक्षा के आठ वर्षों के बाद) विकसित करने की नीति लागू की।

मध्यवर्ती स्तर को दो भागों में, एक वर्ष विद्यालय को और दूसरा विश्वविद्यालय को जाने के लिए विभाजित करने की सिफारिश प्रतिगामी सिद्ध हुई – 11 वर्ष उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम ने बहुत जल्दी विशेषज्ञता लागू की (कक्षा आठवीं के बाद) और व्यावसायिक शिक्षण को कठिन बनाया (नायक, 1969)।

यद्यपि, समिति की मुख्य सिफारिशें माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी परंतु उसने प्रारंभिक शिक्षा का महत्व स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया।

5-3-3 f'k{kk vk;ksx ¼1964&66½

नेहरु के मिशन से लेते हुए और उसके अधिकांश प्रमुख विषयों को स्पष्ट करते हुए भारत के लिए सुसंगत शिक्षा नीति का प्रतिपादन करने के लिए डॉ. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग (1964–66) स्थापित किया गया। शिक्षा आयोग (1964–66) स्वरूप में बहुत व्यापक था, उसने शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं की समीक्षा की और अपने को किसी एक खास पहलू तक सीमित नहीं रखा जैसा कि उसके पहले और बाद में आए आयोगों ने किया था। रिपोर्ट की दो विशेष विशेषताएँ हैं:

i) शिक्षा सम्बन्धी पुनर्संरचना के लिए उसका व्यापक दृष्टिकोण; और

ii) भारत के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति का खाका रखने का उसका प्रयास।

आयोग के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय उत्पादकता बढ़ाना, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता विकसित करना, लोकतंत्र सुदृढ़ करना, देश का आधुनिकीकरण करना और सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना था। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका, पूरी रिपोर्ट में उसकी संपूर्ण विविधता में प्रकट होती है। उपयुक्त रूप से इसका शीर्षक "शिक्षा और राष्ट्रीय विकास" होना चाहिए।

आयोग ने उन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान की है जो वांछित शिक्षा संकल्पन ला सकते हैं, वे हैं:

- आंतरिक रूपांतरण – ताकि इसे जीवन की आवश्यकताओं और राष्ट्र की आकांक्षाओं से संबद्ध किया जा सके;
- गुणात्मक सुधार – ताकि प्राप्त मानक पर्याप्त हों और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से समतुल्य हों; और
- शिक्षा अवसरों के समकरण पर बल देते हुए मानव शक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर व्यापक रूप से शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना था।

उसमें 10+2+3 के एक समान ढाँचा में शिक्षा की पुनःसंरचना करने का सुझाव दिया गया था। इसने "जनशक्ति दृष्टिकोण" अपनाया और घोषणा की कि उच्चतर शिक्षा का मुख्य प्रयोजन औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताएँ पूरी करना है। उसने सामाजिक परिवर्तन प्रोत्साहित करने में भी अपनी भूमिका स्वीकार की।

आयोग ने लोगों को अपनी इच्छा से आने में सहायता करने के लिए जनसामान्य के लिए शिक्षा प्रणाली का पुनःनिर्माण करने का प्रयास किया। आयोग ने अच्छे कामगार और सुशिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए कार्य और शिक्षा के मध्य द्विविभाजन समाप्त करने का प्रयास किया। आयोग ने लोकतंत्र में नागरिकता निर्माण के लिए और "कार्य के संसार" से "ज्ञान के कार्य" का सहसम्बन्धन करने के लिए सामान्य पाठ्यचर्या के कम से कम 10 वर्ष की सिफारिश की। इस संकल्पना में विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम केवल +2 स्तर पर लागू हो सकेंगे।

आयोग की मुख्य सिफारिशों में विज्ञान और गणित पर बल, विद्यालय पाठ्यचर्या के अभिन्न भाग के रूप में कार्य अनुभव का प्रारंभ, सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली का प्रारंभ, विद्यालय के 12 वर्ष के साथ शैक्षिक संरचना, प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन देना और शिक्षा अवसरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय (क्षेत्रीय, जनजाति और लिंग असंतुलन का समाधान), विद्यालय परिसरों की स्थापना, प्रतिवेशी विद्यालय, तीन–भाषा–फार्मूला आदि शामिल हैं। (विद्यालय शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के लिए उसकी दो मुख्य सिफारिशों पर इस इकाई में आगे विस्तार से चर्चा की गई है)।

आयोग ने निरक्षरता उन्मूलन के लिए शिक्षा का वैकल्पिक चैनल की आवश्यकता पर और प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया। सामाजिक विज्ञान या कला के बदले विज्ञान और गणित पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर आयोग ने इस धारणा को पुनः सुदृढ़ किया है कि भारत के विकास की आवश्यकताएँ सामाजिक वैज्ञानिकों के बदले वैज्ञानिकों द्वारा पूरी की जा सकती है।

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आयोग ने राष्ट्रव्यापी मानकों का सुधार करने के लिए संस्थागत योजना, कार्य नैतिकता को प्रोत्साहन, उन्नत शिक्षण और अधिगम सामग्री तथा शिक्षण और मूल्यांकन की विधियों तथा विद्यालयों के चयनात्मक विकास पर ध्यान केन्द्रित किया।

vè;kid ÁfLFkfr

सबसे पहले तत्काल आवश्यकता जैसे पर्याप्त रूप में अध्यापकों की नियुक्ति एवं विद्यालय स्तर पर पारिश्रमिक बढ़ाने पर आयोग ने बल दिया। आयोग ने सिफारिश की कि सरकार को अध्यापकों के न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने चाहिए और राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों को समतुल्य या उच्चतर मान अपनाने के लिए सहायता करनी चाहिए।

vè;kid f'k{kk

आयोग ने अनुरोध किया कि अध्यापकों की व्यावसायिक तैयारी शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण थी और इसके लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की: जैसे

- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार;
- प्रधानाध्यापकों/शिक्षक अध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों के लिए नए पाठ्यक्रमों का प्रवर्तन; और
- अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का विस्तार और प्रशिक्षण सुविधाओं की सिफारिशें।

5-3-4 jk"Vªh; Kku vk;ksx ¼2009½

इक्कीसवीं शताब्दी में शैक्षिक चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नियुक्त किया गया था। यह वास्तव में शिक्षा आयोग नहीं था क्योंकि इसकी भूमिका उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता, सुलभता और समता के लिए संरचना का सुझाव देना था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग शिक्षा की गुणवत्ता पर सुधार के लिए हाल ही में महत्वपूर्ण पहलों में से एक है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा जून 2005 में सैम पैट्रोडा की अध्यक्षता में किया गया। आयोग को हमारे ज्ञान सम्बन्धी संस्थाओं और आधारभूत संरचना के सुधार के लिए रूपरेखा तैयार करनी थी, जिससे भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा का अधिकार, पुस्तकालयों, भाषा, अनुवाद, पोर्टल और ज्ञान नेटवर्क जैसे क्षेत्रों पर सिफारिशें की। उसकी कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1) शिक्षा का अधिकार का समर्थन करते हुए केन्द्रीय विधायन की आवश्यकता। विधायन को विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना चाहिए और इसे प्रभावशाली होने के लिए भिन्न–भिन्न स्तरों पर सरकार का उत्तरदायित्व स्वीकार किया जाना चाहिए और तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।

2) भाषा के रूप में अंग्रेजी का शिक्षण कक्षा प्रथम से बच्चे की पहली भाषा (मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा) के साथ प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण के अध्यापन सुधारने की आवश्यकता पर भी ध्यान केन्द्रित किया और परंपरागत शिक्षण विधियों के संपूरण के लिए सभी उपलब्ध माध्यमों के प्रयोग पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।

3) विद्यालय प्रणाली में परिवर्तन जो की विकेन्द्रीकरण, विद्यालयों के प्रबंधन में स्थानीय स्वायत्तता और निधियों के वितरण में लचीलापन प्रोत्साहित करेगा।

4) विद्यालय में आधारभूत संरचना सुधारने और प्रणाली के स्थानीय पणधारियों की बड़ी भूमिका, प्रणाली तथा नया पारदर्शिता से विद्यालय निरीक्षण सुदृढ़ करने के लिए गुणवत्ता सुधारने और जवाबदेही उत्पन्न करना।

5) अध्यापकों, छात्रों और प्रशासन को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुलभ करना।

6) रटकर अधिगम समाप्त करके संकल्पना की समझ द्वारा पाठ्यचर्या और परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता और अंत में संकाय में सुधार करना।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सुझाव दिया कि विद्यालय शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य पर है और इसलिए नीति निरूपण में राज्यों से परामर्श लेना आवश्यक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उसी नियामक प्राधिकरण को सेवा–पूर्व और सेवाकालीन दोनों अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का विषय होने और निजी संगठनों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की पर्याप्त मॉनीटरिंग की भी सिफारिश की है।

ckèk Á'u 5-1

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) माध्यमिक शिक्षा आयोग की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के बारे में क्या सिफारिशें किए?

.....

.....

.....

.....

2) कोठारी आयोग की प्रमुख विशेषताएँ और प्रमुख दखल क्षेत्र क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

3) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्यों गठित किया गया था? विद्यालय शिक्षा के निजीकरण के बारे में उसकी मुख्य सिफारिशों की आलोचनात्मक दृष्टि से चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5-4 Áe[k f'k{kk uhfr;k

पिछली इकाई में चर्चा किए गए प्रमुख चार शिक्षा आयोगों ने भारत में विकसित हो रही शिक्षा नीतियों की आधारशिला रखी। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968, 1986 और संशोधित कार्य योजना 1992 भी शिक्षा की योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए स्थापित की गई थी। आइए, नीतियों को शिक्षा के बारे में क्या कहना है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें।

5-4-1 jk"Vªh; f'k{kk uhfr ¼1968½

कोठारी आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण कदम प्रमाणित हुई। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, उभयनिष्ठ नागरिकता और संस्कृति की भावना को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करना है। इसमें शिक्षा प्रणाली की सभी स्तरों पर उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए आमूलचूल पुनःसंरचना पर बल दिया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नैतिक मूल्यों की उत्पत्ति और शिक्षा तथा लोगों के जीवन के मध्य निकटतर सम्बन्ध की आवश्यकता पर बल दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने बहुत संक्षेप में निर्दिष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 45 के अधीन निदेशक सिद्धांतों की शीघ्र पूर्ति के लिए अनवरत प्रयास किए जाने चाहिए जिसमें 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के निदेश हैं। उसने सुझाव दिया कि विद्यालयों में विद्यमान "बर्बादी" और "अवरुद्धता" कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम विकसित होने चाहिए कि प्रत्येक बच्चा जिनका विद्यालय में नामांकित किया गया है, सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 ने पाठ्यचर्या के संवर्धन और पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षण विधियों के सुधार पर भी बल दिया है। इसने विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजना बनाने की भी वकालत की।

यद्यपि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भावी मार्ग सुझाने के लिए अच्छा प्रयास थी, परंतु यह ब्यौरेवार क्रियान्वयन रणनीति विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व के नियतन और वित्तीय एवं संगठनात्मक सहायता के अभाव में, सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो सकती। अगली महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की स्थापना थी।

5-4-2 jk"Vªh; f'k{kk uhfr ¼1986½

भारत सरकार ने सन् 1985 में विद्यमान शिक्षा प्रणाली की समीक्षा की और यह "f'k{kk dh pukSrh% uhfr ifjÁ{;" प्रलेख में स्पष्ट किया गया था। नई शिक्षा नीति का अभिप्राय भारत को इक्कीसवीं शताब्दी के लिए तैयार करना था। नीति ने निम्नलिखित शब्दों के परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। "*भारत में शिक्षा आज चौराहे पर खड़ी है, न तो सामान्य रेखीय विस्तार, न ही सुधार की विद्यमान गति और स्वरूप स्थिति की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं।*" राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने 1968 की शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित नीति लक्ष्यों की उपलब्धि को स्वीकार किया, जैसे एक किलोमीटर के अंदर विद्यालय की स्थापना, और सर्वजनीन शिक्षा संरचना अपनाना, परंतु यह कहा गया कि सुलभता और गुणवत्ता की समस्याओं के समाधान के लिए बढ़ी हुई वित्तीय और संगठनात्मक नीति का अभिप्राय शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी और शिक्षा की सुलभता बढ़ाना था। साथ ही स्वतंत्रता के बाद प्रोत्साहित की जा रही धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और समानता के मूल्य संरक्षण भी था। सरकार ने सरकारी निधि पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र से वित्तीय सहायता लेने का भी प्रस्ताव किया। केन्द्रीय सरकार ने भी घोषणा की कि गुणवत्ता और स्तर बनाए रखने के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय और समाकलनात्मक स्वरूप प्रवर्तन करने के लिए अधिक व्यापक उत्तरदायित्व ग्रहण करेगी। परंतु राज्यों ने, विशेषकर पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अपने अधिकार में रखी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने 10+2+3 की स्वीकृत संरचना पर आधारित jk"Vªh; f'k{kk Á.kkyh का प्रस्ताव किया। पहले 10 वर्षों को आगे विभाजन के बारे में उसने प्राथमिक की 5 वर्षों की प्रारंभिक प्रणाली, उच्च प्राथमिक शिक्षा के तीन वर्ष और इसके बाद हाई

स्कूल के 2 वर्षों की प्रणाली का सुझाव दिया। उसने सुझाव दिया कि पूरे देश में विद्यालय शिक्षा के रूप में +2 स्तर स्वीकार किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का अभिप्राय था कि निर्धारित स्तर तक सभी छात्रों को जाति, धर्म, स्थान या लिंग को ध्यान किए बिना समतुल्य गुणवत्ता की शिक्षा सुलभ हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने 1968 की नीति में सिफारिश की गई सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए प्रभावकारी उपाय उठाने पर बल दिया।

uoksn; fo|ky;k की स्थापना, सामान्यतया शिक्षा और विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा के इतिहास में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है।

उसके चौथे अनुभाग में बालिकाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अवसरों पर और इस सम्बन्ध में समस्याएँ हटाने पर बल दिया है। यह भी सुझाव दिया गया है कि जनजाति क्षेत्रों में आश्रय या आवासी विद्यालयों सहित दूरवर्ती स्थानों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। नीति ने सामान्य विद्यालयों में मोटर विकलांग बच्चों के समावेश और जिला मुख्यालय पर विशेष विद्यालयों की व्यवस्था पर बल दिया।

अनुभाग पाँच में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। यह प्रस्ताव किया गया है कि:

- सुलभता, नामांकन और प्रतिधारण – बच्चों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चे को विद्यालय लाभ मिलना चाहिए।

- शिक्षा की गुणवत्ता सुधार – विद्यालय परिवेश सुधारकर, बाल केन्द्रित और क्रियाकलाप केन्द्रित शिक्षण विधि, वर्ष भर सतत मूल्यांकन, सभी प्रकार के शारीरिक दंड का उन्मूलन, प्रारंभिक स्तर पर किसी भी कक्षा में किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण न करने की पद्धति जारी रखना और प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना था।

- अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था, उन बच्चों के लिए जिन्हें अध्ययन मध्य में ही विद्यालय छोड़ा है या ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ विद्यालय नहीं हैं।

- अध्यापकों और अध्यापक शिक्षा के बारे में, नीति ने सुझाया कि, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (District Institute of Educational Training – DIET), ऐसी क्षमता के साथ स्थापित करना आवश्यकता है, जो कि प्रारंभिक विद्यालय अध्यापकों के लिए और अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के लिए सेवापूर्व और सेवाकालीन पाठ्यक्रम संचालित कर सकें। उसने सिफारिश की कि जब जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) स्थापित किया जाता है, अवमानक संस्थाएँ (sub-standard institutes) बंद की जानी चाहिए। विशेष माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान का राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (State Council of Educational Research and Training – SCERT) की सहायता करने के लिए दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education - NCTE) को अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को प्रत्यायित करने के लिए पाठ्यचर्या तथा विधियों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन तथा क्षमता प्रदान की जानी चाहिए। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के मध्य नेटवर्किंग व्यवस्था निर्मित होनी चाहिए।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE), 1986 और कार्य योजना (PoA, 1992) ने भाषा विकास के बारे में सविस्तार चर्चा की है और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा माध्यम के रूप

में क्षेत्रीय भाषाओं के अपनाने पर बल दिया है। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। भाषा पद्धतियों के बारे में सिफारिशें निम्न प्रकार थाः

- तीन भाषा सूत्र, शिक्षा के भिन्न–भिन्न स्तरों पर विद्यार्थी की भाषायी क्षमताओं में विकास में सुधार करना;
- अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था; और
- संपर्क भाषा आदि के रूप में हिन्दी भाषा का विकास।

इस नीति में कार्य योजना ने प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों का सुधार करने के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की मुख्य वसीयत निजीकरण को प्रोत्साहन और निरपेक्षतावाद तथा विज्ञान पर सतत बल दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने पर्यावरण के बारे में जागरूकता विकसित करने की वकालत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ खास विशेषताएँ थीं, जैसे सर्वजनीन विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षा के न्यूनतम स्तर, नैतिक शिक्षा, संचार माध्यम की भूमिका और शिक्षा प्रौद्योगिकी, कार्य अनुभव, गणित और विज्ञान के शिक्षण पर बल, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा।

सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की प्रगति और प्रभाविकता की समीक्षा करने के लिए सन् 1989 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित की। राममूर्ति समिति ने रिपोर्ट "Ác) vkj ekuoh; lekt dh vkjß नाम से सन् 1990 में प्रस्तुत की। समिति ने सिफारिश की कि सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लिंग असमानताएँ समाप्त करने के लिए निजी विद्यालयों को भी सर्वजनीन विद्यालयों में परिवर्तित किया जाए। उसने सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम बनाए जाए। उसने आगे सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का बुनियादी ढाँचा और गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्याप्त निधि होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में होनी चाहिए और अन्य माध्यम में शिक्षा देने वाले विद्यालयों की सहायता बंद होनी चाहिए। समिति की रिपोर्ट ने नई कार्य योजना, संशोधित कार्य योजना (1992), विकसित करने के लिए आधार प्रदान किया।

5-4-3 la'kksfèkr dk;Z ;kstuk ¼1992½

राममूर्ति समिति की रिपोर्ट पर विचार करने से पहले सरकार ने सन् 1992 में जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक अन्य समिति नियुक्त की। समिति की रिपोर्ट ने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए आधार प्रदान किया और कार्य योजना 1992 के रूप में ठोस कार्यक्रम सामने आया।

संशोधित कार्य योजना (1992) ने समानता के लिए शिक्षा का सुझाव दिया। उसने, उच्चतर प्राथमिक स्तर तक विस्तार करने, प्रारंभिक स्तर पर भविष्य में कम से कम पचास प्रतिशत महिला अध्यापक नियुक्त करने का लक्ष्य रखने की शिक्षा की दृष्टि से वंचित और कामकाजी बालकों और बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, तथा, यथासंभव अधिकाधिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का विस्तार करने के लिए एवं vkijs'ku Cyd ckMZ को अधिक व्यापक बनाने की सिफारिश की। उसने यह भी प्रस्ताव किया कि प्रारंभिक विद्यालय पूरे वर्ष भर खुले होने चाहिए।

ckèk Á'u 5-2

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने विद्यालय सुविधाओं के संदर्भ में "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" की संकल्पना का निरूपण किया। इस उपाय के उद्देश्यों और प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5) प्रारंभिक शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की मुख्य सिफारिशों की चर्चा कीजिए। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने से संबंधित पहलुओं की चर्चा विस्तार से कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5-5 lerk vkj fu"i{krk d fy, fo|ky;

सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, विद्यालय प्रणाली स्थापित करने कुछ प्रस्ताव आयोगों और नीतियों में प्रस्तावित किए गए थे। इस भाग में, हम विस्तार से तीन विषयों, अर्थात् सर्वजनीन विद्यालय, प्रतिवेश विद्यालय और वैकल्पिक विद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे।

5-5-1 lo tuhu fo|ky; Á.kkyh

शिक्षा आयोग (1964–66) ने "भिन्न–भिन्न सामाजिक वर्गों और समूहों को एक साथ" लाने और इस प्रकार समानतावादी और समाकलित समाज के उद्‌भव को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के निर्माण के आधार के रूप में सार्वजनिक शिक्षा की सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली की सिफारिश की थी। आयोग ने उल्लेख किया कि शिक्षा, सामाजिक पृथककरण और असमानताएँ बढ़ा रही थी। उसने आगे उल्लेख किया कि "यह न केवल गरीबों के बच्चों के लिए खराब थी बल्कि धनी और सुविधा संपन्न समूहों के बच्चों के लिए भी खराब थी क्योंकि माता–पिता उन्हें गरीबों के बच्चों का जीवन और अनुभवों को बाँटने से रोकते थे तथा जीवन की वास्तविकता से संपर्क में आने से रोकते थे और अपने बच्चों को अधूरी शिक्षा देते थे ... "।

"सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली" (Common School System - CSS) का अभिप्राय ऐसी प्रणाली से है जो जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, लिंग, आर्थिक दशा, सामाजिक प्रस्थिति और शारीरिक एवं मानसिक योग्यता को ध्यान में रखने बिना सभी बच्चों को साम्ययुक्त गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करती है।"

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) यह संकल्पना करती है कि सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली सामाजिक, आर्थिक और अन्य भिन्नताओं का ध्यान किए बिना सभी बच्चों के लिए उन्मुक्त होगी, यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की वकालत करते हुए संकल्प किया कि "राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में संस्तुत सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली की दिशा में प्रभावकारी उपाय किए जाएँगे।" उसने यह भी उल्लेख किया कि संविधान (समानता और सामाजिक न्याय) सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) बनाई गई है।

सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली क्या है? सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता सभी प्रकार के विद्यालयों के लिए शिक्षा की समता (समरूप नहीं), गुणवत्ता है, चाहे वे सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय या निजी विद्यालय हों। शिक्षा की साम्यायुक्त गुणवत्ता की छः अनिवार्य और अपरक्राम्य विशेषताएँ विनिर्दिष्ट की जानी आवश्यक हैं, जैसेः

i) न्यूनतम भौतिक आधारभूत संरचना – जैसे पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री, खेल का मैदान और कई अन्य विशेषताएँ (जैसे प्राथमिक/प्रारंभिक विद्यालयों से संबद्ध शिशु देखभाल केन्द्र और पूर्व प्राथमिक विद्यालय);

ii) अध्यापकों की व्यावसायिक गुणवत्ता और अध्यापक–छात्र अनुपात;

iii) देश की भू–सांस्कृतिक का अनेकत्व प्रतिबिम्बित करने के लिए विविधतापूर्ण और लचीली पाठ्यचर्या, (जब राष्ट्रव्यापी महत्व के कुछ मूल पाठ्यचर्या पर बल दे रहे हों);

iv) व्यापक अध्यापन, बाल मैत्रीपूर्ण और उदार शिक्षा;

v) लिंग संवेदनशीलता के अलावा, दलितों, जनजातियों, सांस्कृतिक तथा संजातीय अल्पसंख्यकों और शारीरिक या मानसिक अशक्त बच्चों के लिए शैक्षणिक और सामाजिक सहानुभूति; और

vi) विकेन्द्रीकृत एवं समुदाय नियंत्रित विद्यालय प्रणाली।

सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली का कहीं अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ है कि यह समता और सामाजिक न्याय प्रोत्साहित करती है तथा यह राष्ट्र निर्माण और सामाजिक पूँजी निर्माण में सहायता करती है, जो धारणीय लोकतंत्र और आर्थिक प्रगति तथा संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली की सिफारिश की जिसके क्रियान्वयन का कार्य योजना 1986 द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। सन् 1990 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहाकार बोर्ड (Central Advisory Board on Education - CABE) ने अक्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए, आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया। राममूर्ति समिति ने अपने विश्लेषण में सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली के आगे न बढ़ने के निम्नलिखित कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत कीः

i) आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ : धनी समुदाय अपने बच्चों को बेहतर आधारभूत संरचना, अध्यापकों और शिक्षण स्तर संपन्न करने के लिए भेजते हैं, जो सामान्य विद्यालयों में नहीं होता है और परिणामतः उनमें निवेश कम होता है;

ii) अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और संचालित करने के लिए दिया गया संवैधानिक संरक्षण सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली के अनुरूप है;

iii) सरकारी विद्यालयों में दी गई शिक्षा की गुणवत्ता निम्न स्तर रही है;

iv) राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव;

v) प्रति व्यक्ति शुल्क चार्ज करने वाले तथा महँगी कोचिंग देने वाले निजी स्वामित्व में नियंत्रित अंग्रेजी माध्यमों के विद्यालयों का विस्तार; और

vi) सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों, नवोदय विद्यालयों का अस्तित्व स्थापन करना।

5-5-2 Áfro'kh fo|ky;

सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली के लिए प्रतिवेशी विद्यालयों की संकल्पना प्रमुख है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने सिफारिश की कि सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में पड़ोस में सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। यह निर्धारित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट और अंकित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया था कि "प्रत्येक विद्यालय में जाति, धर्म, समुदाय, आर्थिक दशा या सामाजिक प्रस्थिति का ध्यान रखे बिना सभी बच्चों का प्रवेश होना चाहिए, इसलिए कोई पृथककरण विद्यालय नहीं होगा। प्रतिवेशी विद्यालयों के लिए तर्क प्रस्तुत करते हुए आयोग ने दो बातें प्रस्तुत की। पहला, प्रतिवेशी विद्यालय बच्चों को "अच्छी" शिक्षा प्रदान कर सकेंगे क्योंकि आम लोगों से जीवन सहभाजन करना अच्छी शिक्षा का आवश्यक अंग होगा एवं दूसरे, ऐसे विद्यालयों की स्थापना धनी वर्ग, सुविधा संपन्न और शक्तिशाली वर्ग सार्वजनिक शिक्षा की प्रणाली में रुचि लेने के लिए आकर्षित होंगे और इससे इसके जल्द सुधार होंगे। कोठारी आयोग के बाद विद्यालय शिक्षा में विकास दर्शाता है कि "धनी, सुविधासंपन्न और शक्तिशाली वर्गों" ने सार्वजनिक शिक्षा की प्रणाली में रुचि नहीं ली है, जैसा कि कोठारी आयोग को आशा थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली पर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया, जिनका लक्ष्य बीस वर्षों के अंदर प्रतिवेशी विद्यालय की संकल्पना का क्रियान्वयन करना था। परंतु कुल बीस वर्षों के बाद सन् 1986 में नई शिक्षा नीति ने सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली के शब्दाडम्बर को बनाए रखा परंतु वास्तविकता में इसे त्याग दिया।

5-5-3 oSdfYid fo|ky;

शिक्षा गारंटी योजना (Education Guarantee Scheme - EGS) उन बस्तियों में वैकल्पिक विद्यालय स्थापित करने का कार्यक्रम है, जहाँ एक किलोमीटर की परिधि के अंदर कोई औपचारिक विद्यालय नहीं है और कम से कम 15 बच्चे प्रारंभिक विद्यालय जाने की आयु के हैं। कभी–कभी दूरवर्ती बस्तियों से शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र पर लगभग 10 बच्चे होते हैं। शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र तब तक रहने की आशा की जाती है, जब तक उसे प्रारंभिक विद्यालय का दर्जा नहीं दिया जाता है, बशर्ते यह पिछले दो वर्षों से चल रहा हो और छोटा विद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी राज्य के मानदंड पूरा करता हो। ग्राम द्वारा चुने गए शिक्षा स्वयंसेवक (Educational Volunteers - EVs) केन्द्र चलाते हैं, प्रारंभ में उन्हें 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है और बाद में लगातार प्रशिक्षण पाते हैं। संकुल संसाधन केन्द्रों (Cluster Resource Centres - CRCs) तथा खंड स्तर के संसाधन केन्द्रों (Block Resource Centres - BRCs) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) को शैक्षिक सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों के लिए वहीं औपचारिक पाठ्यचर्या होता है जो प्रारंभिक विद्यालय में दिया जाता है और पाठ्यपुस्तकें तथा दोपहर का भोजन मिलता है। वित्तीय वर्ष 2005–06 के अंत तक 1,11,416 शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र थे जिनमें 4. 04 मिलियन बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उच्चतर शिक्षा विद्यालय की सुलभता के बिना छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिसा, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में उच्चतर प्रारंभिक केन्द्र बस्तियों में कार्य कर रहे हैं। ऐसे केन्द्रों में दो अध्यापक होते हैं। शिक्षा गारंटी योजना निम्नलिखित मुख्य संस्थागत विशेषताओं पर स्थापित की गई थीं:

i) विद्यालय की माँग का अधिकार पर राज्य की गारंटी है कि इसे पूरा किया जाएगा। यह समझ थी कि इससे शिक्षा की दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में विद्यालय की माँग के लिए

लोग सशक्त हो सकेंगे। इस प्रक्रिया में सरकार भी यह जान सकेंगी कि कहाँ–कहाँ विद्यालय अत्यधिक आवश्यक हैं।

ii) उत्तरदायी "गुरुजी" – समुदाय के अभिभावक–शिक्षक संघ (Parent Teacher Association - PTA) और विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के माध्यम से "गुरुजी" नियुक्त करने की शक्ति होगी, उससे मॉनीटर करने, अभिप्रेरित करने और उन्हें अनुशासित करने की भी आशा की गई थी, इस प्रकार उन्हें प्रारंभ से ही समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाना था।

iii) शिक्षा गारंटी योजना विद्यालय एवं समुदाय स्वामित्व – अभिभावक–शिक्षक संघ (PTA) और विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) से विद्यालय के प्रबंधन करने वाले बच्चों को अभिप्रेरित करने, कक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर घटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने की आशा की गई है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करना था कि समुदाय विद्यालयों का स्वामी है।

आलोचनाएँः शिक्षा गारंटी योजना की सफलता के सरकारी दावों की बहुत क्षेत्रों से आलोचना हुई है। फ्रांसीसी विद्वान लेक्टेरेक ने तर्क दिया कि भले ही "शिक्षा की सुलभता शिक्षा गारंटी योजना के माध्यम से सुधरी हो, बच्चों को शिक्षा की गारंटी दी गई है, फिर भी, गारंटी अधूरी है, परंतु कुछ बच्चे नाममात्र के लिए नामांकित किए गए हैं, उपस्थिति दोषपूर्ण है और गुणवत्ता शिक्षण और शैक्षिक परिणाम अपर्याप्त हैं।" अन्य अध्ययन भी समान समस्याओं का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि शिक्षा गारंटी योजना जैसी प्रणाली, जिसमें अल्प अर्हता प्राप्त, निम्नमान की प्रशिक्षित और अल्प वेतन पर अध्यापकों द्वारा सुलभता का विस्तार करने की प्रवृत्ति होती है, जो कि निम्नमान गुणवत्ता की शिक्षा देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी प्रणालियाँ देश में शिक्षा की दो विचारधाराएँ स्थापित करती हैं, एक, जो सुविधासंपन्न वर्गों के लिए सुविधा के अनुसार बेहतर हो सकती हैं, और दूसरा, जो त्रुटिपूर्ण है, और सुविधावंचित वर्गों के लिए है (गोविंदा और जोसेफिन, 2004, पांडेय, 2006, प्रिटचेंट और पांडे, 2006)।

ckèk Á'u 5-3

fVIi.kh क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

6) सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली की संकल्पना की चर्चा कीजिए। इससे विद्यालय जाने वाले सभी बच्चों के साम्यायुक्त शिक्षा प्रदान करने की आशा कैसे की जा सकती है?

....

....

....

....

7) "शिक्षा गारंटी योजना" जो शिक्षा प्रदान करती है, वह गुणवत्ता में निम्नमान की है।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण दीजिए।

....

....

....

....

5-6 ÁkjafHkd f'k{kk dk lkoZHkkSfedhdj.k

सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर लोकतंत्र का सामाजिक ढाँचा सुदृढ़ करने की संवैधानिक वचनबद्धता क्रियान्वित करने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से दृढ़ प्रयास किए गए थे। इस भाग में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण पर राज्य सरकारों से भागीदारी में क्रियान्वित दो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

5-6-1 loZ f'k{kk vfHk;ku

सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित विकेन्द्रीकृत विशिष्ट योजना और विद्यालय प्रणाली की सामुदायिक स्वामित्व द्वारा क्रियान्वयन रणनीति के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करने की व्यापक योजना है। यह समयबद्ध तरीके में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण प्राप्ति के लिए कार्यक्रम है, जैसा कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए भारत के संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अधिदेशित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से सम्बन्धित सभी मुख्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया है। यह संस्थागत सुधार, सतत् वित्तीयन, सामुदायिक स्वामित्व, संस्थागत क्षमता निर्माण, मुख्यधारा शैक्षिक प्रशासन सुधार, पूरी पारदर्शिता से समुदाय आधारित मानीटरिंग, समुदाय के प्रति जवाबदेही, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता पर ध्यान केन्द्रित करता है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्गों, शहर में वंचित बच्चों, अन्य सुविधा वंचित वर्गों के बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करता है। योजना का उद्देश्य परिवेश प्रतिधारण और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है, ताकि, बच्चे अधिगम की समुचित स्तरों के ग्रेड प्राप्त कर सकें।

सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश को शामिल करने के लिए 1.1 मिलियन बस्तियों में 192 मिलियन बच्चों की आवश्यकताओं को हल करने के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी में क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम उन बस्तियों में विद्यालय खोलने का प्रयास करता है जहाँ विद्यालय की सुविधाएँ नहीं हैं और अतिरिक्त कक्षाकक्ष, शौचालय, पेय जल, रखरखाव अनुदान तथा विद्यालय सुधार अनुदान का प्रावधान द्वारा विद्यमान विद्यालय आधारभूत सुविधा सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। इन प्रावधानों के लिए कानूनी रूप से अधिदेशित मानदंडों और मानकों से तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अधिदेशित मुक्त हमदारियों के साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा प्रकाशित "*रिपोर्ट टू दी पीपल ऑन एजुकेशन,* 2009–10" में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण पर सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव प्रतिबिम्बित हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र से प्रेक्षण निर्दिष्ट करते हैं कि संस्थाओं और नामांकन की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से प्राथमिक शिक्षा की सर्वजनीन सुलभता की समस्या कमोबेशी सफलतापूर्वक हल हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक नामांकन (universal enrolment) सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हल किया जा रहा है।

f'k{kk ds vfèkdkj vfèkfu;e ds fØ;kUo;u ij lfefr vkSj loZ f'k{kk vfHk;ku dk u;k vkSj mÙkj :i

सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए भारत के ध्वजपोत के रूप में क्रियान्वित किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्रावधान प्रारंभिक

शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण और सुलभता पर सर्व शिक्षा अभियान लक्ष्यों पर भी लागू है। सर्व शिक्षा अभियान की वर्तमान अवस्था में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए दृष्टिकोण और कार्यनीतियाँ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अधीन सही परिप्रेक्ष्यों में अधिदेशित हैं।

सितम्बर 2009 में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान बनाम शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर अनुवर्ती कार्रवाई सुझाने के लिए पूर्व केन्द्रीय शिक्षा सचिव, श्री अनिल बोर्डिया की अध्यक्षता में समिति गठित की। समिति ने राज्य शिक्षा सचिवों, शिक्षाविदों, शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों से विचारविमर्श किया। "शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन और सर्व शिक्षा अभियान का परिणामी पुनःसंरचना" शीर्षक से समिति की अप्रैल 2010 में प्रस्तुत रिपोर्ट निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा संचालित थीः

i) **f'k{kk dk lexkRed nf"Vdks.k%** जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–2005 में व्याख्या की गई है, इसका अभिप्राय पाठ्यचर्या, शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक योजना और प्रबंधन के महत्वपूर्ण निहितार्थों के साथ शिक्षा के संपूर्ण विषयवस्तु और प्रक्रिया का प्रणालीबद्ध तरीके में नया और उन्नत रूप देना है।

ii) **lerk%** इसका अभिप्राय न केवल समान अवसर है बल्कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करना है जिनमें समाज के सुविधावंचित वर्गों – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मुस्लिम अल्पसंख्यकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चे और विशेष जरूरतमंद बच्चे आदि अवसर प्राप्त कर सकें।

iii) **lqyHkrk%** इसे यह सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं रखा जा सकता है कि निर्दिष्ट दूरी के अंदर सभी बच्चों के लिए विद्यालय सुलभ हैं, परंतु इसका आशय परंपरागत रूप से बहि कृत श्रेणियों – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सबसे अधिक सुविधावंचित समूहों के अन्य वर्गों, मुस्लिम अल्पसंख्यकों, सामान्यतः बालिकाएँ और विशेष जरूरतमंद बच्चे हैं।

iv) **fyax leL;k :** इसका आशय न केवल बालिकाओं को बालकों के बराबरी करने योग्य बनाने का प्रयास है बल्कि शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986 / 92) में स्पष्ट किए गए परिप्रेक्ष्य में देखना भी है, अर्थात् महिलाओं की प्रस्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए हस्तक्षेप करना है।

v) **f'k{kk dh dsUæh;rk%** नव परिवर्तन के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना तथा कक्षाकक्ष एवं कक्षा के बाहर संस्कृति का निर्माण करना, जो बच्चों के लिए, विशेषकर दमित और सीमांत पृष्ठभूमि से बालिकाओं के लिए, समावेश परिवेश उत्पन्न कर सकें।

vi) **uSfrd vfuok;Zrk %** दंडात्मक प्रक्रियाओं पर बल देने के बदले माता–पिता, शिक्षकों, शिक्षा प्रशासकों और अन्य पणधारियों पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम माध्यम से लागू किया जा सकता है।

vii) **'kSf{kd Ácaèku dk vfHkUu Hkkx ,dhÑr Á.kkyh %** यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून के क्रियान्वयन के लिए पूर्व शर्त हैं। सभी राज्यों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र उस दिशा में संचलन करना आवश्यक है।

rkfydk 5-1% ÁkjfHkd f'k{kk dh miyfC/k dk lpd

lpd	ÁkFkfed vkj mPprj ÁkFkfed Lrj ij miyfC/k;k
lyHkrk	99 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय है। सितम्बर 2010 तक 3,66,599 नए विद्यालय खोले गए।
ldy ukekdu vuikr	6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio - GER) 2001–02 में प्राथमिक स्तर में 96.3 से 114.37 बढ़ा और 2008–09 में उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 77.23 था।
fyx lekurk lpdkd	प्राथमिक स्तर पर 2001–02 में 0.83 से बढ़कर 2008–09 में 1.00 हुआ और उच्चतर प्राथमिक 0.77 से 0.96 हुआ।
ÁkFkfed Lrj ij Mki vkmV	2001–02 में 39.03 प्रतिशत से यह घटकर 14.10 प्रतिशत 2008–09 में 24.93 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान बालिकाओं का ड्रापआउट दर 16.98 प्रतिशत तक घटा।
Nk=&f'k{kd vuikr	प्राथमिक स्तर पर 44 : 1, और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 34 : 1 है। दिसम्बर 2010 में 11.13 लाख शिक्षक भर्ती किए गए थे।
fo'k"k t:jren cPpk dk ukekdu	29.73 लाख बच्चों की पहचान की गई और सितम्बर 2010 तक 24.59 लाख बच्चे विद्यालयों में नामांकित किए गए।

¼lkr% *मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट, 2010–11*)

fØ;kdyki 5-1

अपने जिले में प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर पर संक्षेप में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

....

....

....

....

....

5-7 jk"Vªh; ikB~;p;k :ijs[kk] 2005

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने सन् 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयारी की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (National Curriculum Framework - NCF) –2005 ऐसी व्यापक रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास करती है

जिसके अंतर्गत शिक्षक और विद्यालय अनुभव चुन सकते हैं, और योजना बना सकते हैं जिनके बारे में वे सोचते हैं कि बच्चों के लिए वह होनी चाहिए।

प्रारंभिक शिक्षा का समाधान करने में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–2005 की मुख्य सिफारिशों संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:

- "भार बिना अधिगम" (Learning without Burden) में दी गई जानकारी पर आधारित पाठ्यचर्या का भार कम करना।
- सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना।
- सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षाकक्ष में समावेशी परिवेश सृजन करना।
- ज्ञान की संरचना के लिए शिक्षार्थी विनियोजन और प्रयोगात्मक विधा के माध्यम से सृजनशीलता तथा सक्रिय अधिगम प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय ज्ञान और बच्चों का अनुभव पाठ्यपुस्तकों और शिक्षाशास्त्रीय पद्धतियों के अनिवार्य घटक हैं।
- विद्यालय वर्ष बच्चों की क्षमताओं, मनोवृत्तियों और रुचियों में परिवर्तन और अंतरण के साथ तीव्र विकास की अवधि है जिनका ज्ञान की विषयवस्तु और प्रक्रिया चुनने और संगठित करने में निहितार्थ होता है।
- Hkk"kk Áoh.krk% वाक् और श्रवण, पठन और लेखन – विद्यालय के विषयों और अनुशासन में आता है। बच्चों के ज्ञान की संरचना में उनकी आधारभूत भूमिका ठीक प्रारंभिक कक्षाओं से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक होती है, इसलिए उन्हें पहचानना आवश्यक है। तीन सूत्रीय भाषा फार्मूला का क्रियान्वयन करने के लिए नए प्रयास किए जाने चाहिए, जिसमें बच्चे की गृह भाषा(ओं) या मातृभाषा(ओं) पर बल देते हुए शिक्षा के सबसे अच्छे माध्यम के रूप में लिया जाना चाहिए। इनमें जनजाति भाषाएँ, शामिल हैं। अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ स्थान पाना आवश्यक है।
- xf.kr% गणित का शिक्षण को बच्चे की सोचने और तर्क करने, योग्यता बढ़ाने, समझने और पृथककरण संचालन करने, निरूपण करने तथा समस्याओं के समाधान की योग्यता बढ़ानी चाहिए। गुणवत्ता गणित शिक्षा की पहुँच प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।
- foKku% विज्ञान शिक्षण को शिक्षार्थियों को विधियाँ और प्रक्रियाएँ अर्जित करने में लगाना चाहिए जो उनकी जिज्ञासा और सृजनशीलता, विशेषकर पर्यावरण के सम्बन्ध में प्रोत्साहित करें। पर्यावरण समस्याओं की जागरूकता सम्पूर्ण पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए।
- lkekftd foKku% सामाजिक विज्ञान की विषयवस्तु के लिए परीक्षा के कंठस्थ किए जाने वाले तथ्यों के बदले संकल्पनात्मक समझ पर केन्द्रीभूत करना आवश्यक है।
- "'kkfUr vfHkfoU;kl ß मूल्यों को प्रासंगिक कार्यकलापों की सहायता से संपूर्ण विद्यालयी वर्षों में सभी विषयों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा सभी स्तरों पर भिन्न–भिन्न विधाओं के शिक्षण में पर्यावरण के मुद्दे और समस्याएँ वर्णित कर अनुसरण करना सबसे अच्छा हो सकता है, जबकि यह सुनिश्चित करना हो कि आवश्यक कार्यों के लिए पर्याप्त समय निर्धारित किया गया है।

- विद्यालय संस्कृति जो "शिक्षार्थी" के रूप में बच्चे की पहचान विकसित करता है, वह प्रत्येक बच्चे की अंतःशक्ति और हितों को बढ़ाता है। सभी बच्चों – सशक्त और अशक्त – की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट क्रियाकलाप द्वारा अधिगम करने की अनिवार्य शर्तें हैं।

- विषय क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव सहभाजन करने में समुदाय के सदस्यों की सहभागिता विद्यालय और समुदाय के मध्य भागीदारी धीरे–धीरे आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं।

- नई सोच और नए परिप्रेक्ष्यों पर आधारित पाठ्यपुस्तकों, सहायक पुस्तकों, कार्य पुस्तकों, शिक्षक नियम पुस्तकों, मल्टीमीडिया और सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अनुसार अधिगम संसाधनों के रूप में पुनर्संकल्पना एकतरफ अभिग्रहण के बदले द्विमार्ग अंतःक्रिया के स्रोत के रूप में कार्य करता है।

- देश के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में समतुल्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए भी सामान्य विद्यालय प्रणाली विकसित करना वांछनीय है। जब भिन्न–भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे साथ–साथ पढ़ते हैं, यह अधिगम की समग्र गुणवत्ता सुधारता है, और विद्यालय के स्वरूप को समृद्ध करता है।

- तनाव कम करने और परीक्षा में सफलता बढ़ाने के लिए विषय आधारित परीक्षण से समस्या समाधान की दक्षता और ज्ञान में अंतरण आवश्यक है।

ckèk Á'u 5-4

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

8) *"कक्षाकक्ष के सम्बन्ध में मेरी दृष्टि में ऐसा स्थान है, जहाँ लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव या पूर्वग्रह नहीं है। जहाँ अधिगम होता है, आत्मविश्वास निर्मित होता है, और प्रयुक्त होता है, व्यक्तिगत अंतःक्रिया प्रोत्साहित एवं विकसित की जाती है।"*

शिक्षा के इस कथन के अनुसार कक्षाकक्ष में क्या आवश्यक विशेषताएँ होनी चाहिए?

.....

.....

.....

.....

.....

9) *"कक्षाकक्ष के सम्बन्ध में मेरी दृष्टि में ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे संकोच नहीं करते हैं, परंतु अपने कार्य सतत् रूप से और विश्वास के साथ करते हैं : जहाँ बच्चे गलती करने में डरते नहीं हैं और शिक्षक से बात करने से भी नहीं डरते हैं। वे इधर–उधर स्वतंत्रता से जाते हैं, समूह बनाते हैं या समकक्षियों से परामर्श करते हैं। शिक्षक सहायता करता है, प्रेक्षण करता है, समर्थन करता है और मॉनीटर करता है। विद्यालय में मातापिता और अन्य बच्चों से बात करते हुए बच्चे और समुदाय में शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। समुदाय के सदस्य शिक्षकों से समस्याओं पर चर्चा करते हैं, और अभिव्यक्ति का आदान–प्रदान*

करते हैं। उन्हें समस्या हल करने के लिए कहते हैं और यहाँ तक कि उनके कार्यों की सराहना करते हैं।"

चर्चा कीजिए, यह कक्षाकक्ष का विचार किस प्रकार देखा गया है, जिससे कक्षाकक्ष में बच्चे के अधिगम पर प्रभाव हो सकता है:

i) समस्यात्मक स्थितियों का सामना करने में बच्चा विश्वास प्राप्त करता है और निसंकोच कार्य आरंभ करता है।

....

....

....

....

5-8 ipo"kh; ;ktuk,¡ vkj ÁkjfHkd f'k{kk

दसवीं पंचवर्षीय योजना ने (i) सार्वभौमिक सुलभता; (ii) सार्वभौमिक नामांकन; (iii) सार्वभौमिक प्रतिधारण; (iv) सार्वभौमिक उपलब्धि; और (v) समानता द्वारा निर्देशित सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना शीघ्र और समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य साधन के रूप में शिक्षा पर उच्चतम प्राथमिकता रखती है।

XI ipo"kh; ;ktuk 2007&12

- 6 – 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन।
- नामांकन में 2011–12 तक लिंग, सामाजिक और क्षेत्रीय स्तर समाप्त करना।
- प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए एक वर्षीय विद्यालय पूर्व शिक्षा (Pre-School Education - PSE)।
- प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट समाप्त करना और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर ड्राप आउट 2011–12 तक 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना।
- प्रारंभिक स्तर पर 2008–09 तक दोपहर के भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme - MDMS) का सार्वभौमिकीकरण।
- अधिगम दशाओं में बुनियादी कौशल, मौखिक और परिमात्रात्मक अधिगम पर बल के साथ उल्लेखनीय सुधार।
- सभी शिक्षा गारंटी योजना (Education Guarnatee Scheme – EGS) केन्द्रों को नियमित प्राथमिक विद्यालयों में बदलना।
- गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के सुस्पष्ट उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान का पुनर्गठन करना।
- सभी विद्यालयों में बुनियादी अधिगम दशाएँ सुनिश्चित करना और उच्चतर कक्षाओं के लिए सुदृढ़ नीव रखने के लिए प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता और गणना प्रणाली की बुनियादी दक्षता का अर्जन करना।

- गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पर विशेष ध्यान देना, जहाँ छात्र कमजोर हैं और सार्वभौमिक रूप से कक्षा III से आगे अंग्रेजी प्रारंभ करना।
- सामान्य पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और शैक्षणिक पद्धति क्रियान्वित करना; और अनुवर्ती पाठ्यपुस्तक संशोधन करना।
- अधिक गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहित करना और अंतःक्रियात्मक कक्षाकक्ष कार्य सुधारना।
- परा–शिक्षकों (Para-teachers) सहित शिक्षकों के लिए 100 प्रतिशत प्रशिक्षण प्राप्त करना, 40 : 1 से 30 : 1 तक विद्यार्थी शिक्षक अनुपात (PTR) बनाए रखना।
- एकल शिक्षक विद्यालयों के संचालन के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करना और अनिवार्य दो–तिहाई नए शिक्षकों में जिनमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए महिला हो, बहुग्रेड शिक्षण करना।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training – NCERT) या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (State Council of Educational Research and Training – SCERT) द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (National Eligibility Test - NET) / राज्य पात्रता परीक्षा (State Eligibility Test - SET) का प्रवर्तन करना।
- सुस्पष्ट निर्धारित परिणाम सूचकों, जैसे छात्रों के अधिगम स्तर, शिक्षक की योग्यता, कक्षाकक्ष प्रक्रियाएँ, शिक्षण अधिगम सामग्री आदि के माध्यम से प्रचालनात्मक शब्दों में परिभाषित की जाने वाली "उन्नत गुणवत्ता"।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) – 2005 और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किया गया पाठ्यचर्या जो राज्यों के लिए अपने पाठ्यक्रम संशोधन करने के लिए मार्गदर्शन प्रलेख (दस्तावेज) होगा, जिसे सामान्य मानक सुनिश्चित करने में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की अधिक सक्रिय भूमिका होगी।
- सीमांत वर्गों की बस्तियों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शीर्ष प्राथमिकता देना।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्गों के जिलों का विशेष ध्यान रखना।
- विशेष ध्यान केन्द्रित जिलों (Special Focus Districts - SFDs) के लिए नवाचारी निधि दुगुना करना;
- विद्यालयों में और नेहरु युवा केन्द्र संगठन (Nehru Yuva Kendra Sangathan - NYKS), राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme - NSS), स्वालम्बन समूहों (Self Help Groups - SHGs) और स्थानीय ग़ैर–सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से बस्तियों में भी उपचारी कोचिंग द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों का अधिगम स्तर सुधारने पर ध्यान केन्द्रित करना।
- दस लाख से अधिक आबादी वाले 35 शहरों में गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए विशेष विद्यालय खोलना।
- प्रवासी बच्चों, एकल माता–पिता के बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों और कामकाजी बच्चों के लिए विशेष हस्तक्षेप करना।

- अध्ययन में पिछड़ रहे छात्रों के लिए विद्यालय में ही क्षमता का निर्माण करना।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने भी सिफारिश की कि बदलते हुए विश्व संदर्भ में शिक्षा पर उभरते हुए परिप्रेक्ष्यों पर विचार करने के लिए नया शिक्षा आयोग गठित करने की आवश्यकता है।

fØ;kdyki 5-2

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख (दस्तावेज) का अध्ययन कीजिए और सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राप्त करने के सहायक प्रावधानों की सूची बनाइए।

....

....

....

....

....

ckèk Á'u 5-4

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

10) किस सम्बन्ध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभिक शिक्षा के सम्बन्ध में पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से भिन्न है?

....

....

....

....

5-9 f'k{kk vk;kx vkj uhfr;k & ,d leh{kk

उपर्युक्त भागों में हमने चर्चा की कि शिक्षा पर विशेषकर विद्यालय शिक्षा पर आयोगों और नीतियों ने विद्यालय की शिक्षा में दोहरे उद्देश्यों के रूप में गुणवत्ता और समानता पर किस प्रकार ध्यान केन्द्रित किया है। समानतावादी समाज स्थापित करने के लिए और राष्ट्रीय विकास के लिए भी शिक्षा पर प्रमुख ध्यान केन्द्रित रहा है। परंतु वास्तविकता के परिणाम आशाओं से मेल नहीं खाते हैं। इस भाग में हम विश्लेषण करेंगे कि अच्छे अभिप्रायों के बावजूद समस्याएँ विद्यमान है।

5-9-1 ÁkjfHkd f'k{kk & ,d mif{kr {k=

स्वतंत्रता के बाद "समानता और सामाजिक न्याय" की नेहरुवादी दृष्टिकोण ने देश में योजनाबद्ध विकास का मार्गदर्शन किया परंतु प्रारंभिक शिक्षा योजनाबद्ध विकास का उपेक्षित पहलू रहा। जैसा कि नाइक (1965) ने कहा कि, संवैधानिक दर्शन के अनुभव शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए कोई परिप्रेक्ष्य योजना नहीं था। निवेश के आधार पर पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बजट का पर्याप्त भाग प्रारंभिक शिक्षा को

मिला परंतु अनुवर्ती योजनाओं में से संवैधानिक वचन पूरा करने के लिए यह आवश्यकता से बहुत कम था।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने प्रारंभिक शिक्षा पर जिसकी पहले से ही बहुत आवश्यकता थी, यह सिफारिश कर ध्यान दिया कि निःशुल्क निम्नतर और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों का व्यापक विस्तार किया जाए और दूसरा ऐसे सामान्य विद्यालय की स्थापना की जाए जो सामान्य प्रणाली के परिधि के अंतर्गत सभी विद्यमान विद्यालयों (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी) को लाने का प्रयास करे। यह प्रणाली के समान रूप करने की दिशा में मुख्य नीतिगत अंतरण था, जिसने अधिकांश को मानक शिक्षा प्रदान की। सन् 1968 में नीति विवरण, जिसने दृष्टिकोण को वास्तविकता में रूपांतरण करने के लिए आयोग की सिफारिशों का अनुसरण किया, जो समतावाद की प्राप्ति के लिए अस्पष्ट दिशा के साथ "अहानिकर, अनिश्चित, और अपालन" था (नाइक, 1982)।

समतावाद को संकल्पना के रूप में आघात पहुँचा, क्योंकि यह असेवित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बहुत विशाल भाग में प्रारंभिक शिक्षा की निःशुल्क प्रणाली विस्तारवाद द्वारा निर्धारित प्रारंभिक शिक्षा की निःशुल्क प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा सीमित और ह्रासमान बजट आबंटन और शैक्षिक निधीयन में असमानताएँ प्राथमिक शिक्षा को सही रूप में निःशुल्क बनाने में असफल रहा।

5-9-2 cnyrk gqvk jktuhfrd vkj vkfFkd ifjn';

सन् 1970 के और सन् 1980 के दशकों में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में तेजी से परिवर्धन देखा गया जिसका शिक्षा प्रणाली पर भी प्रभाव था। राज्यों ने वित्तीय कमी बताते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व को त्यागना आरंभ किया। सन् 1986 में राजीव गाँधी द्वारा प्रवर्तित नई शिक्षा नीति (New Education Policy - NEP) ने शिक्षा में निजी क्षेत्र की विशाल मात्रा में सहभागिता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि, नई शिक्षा नीति ने सर्व शिक्षा अभियान की संकल्पना स्वीकार की परंतु इसने निजी क्षेत्र की अधिक सहभागिता का पक्ष लिया।

सन् 1991 से राज्य द्वारा अनुसरण की जा रही नव उदारवादी आर्थिक नीति ने शिक्षा को भिन्न दृष्टि से देखा। शिक्षा को "नान–मेरिट गुड" (Non-merit good) नाम दिया गया। नीति निर्माताओं के अवबोधन में उच्चतर शिक्षा पर "प्रतिलभ की सामाजिक दरें" पर्याप्त ऊँची नहीं थी और इसे सरकारी सहायता देने के परिणाम यह हुआ कि, इससे पहले से ही समृद्ध विद्यार्थियों को "निजी लाभ" हुआ और समतावाद को वास्तविक रूप में नहीं बढ़ाया। राज्य सहभागिता और बजट सम्बन्धी सहायता क्षीण होने लगी।

समितियों और विशेषज्ञों को नीति–निर्माताओं के राजनीतिक एजेण्डा का समर्थन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। राज्य का धीरे–धीरे हाथ खींचने से निजी संस्थाएँ शिक्षा क्षेत्र में तेजी से आई।

सन् 1980 के दशक में उभरते हुए भूमंडलीय और ज्ञान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ऐसे शैक्षिक परिवर्तन पर ध्यान दिया था जो "तीव्र प्रौद्योगिकीय क्रांति से प्रकट होने वाली अनिवार्यता का संचालन गतिक रूप से करने" में सक्षम हो (भारत सरकार, 1986)। प्रारंभिक शिक्षा पर सार्वभौमिकीकरण का अधूरा कार्य प्राप्त करना था और फैलते हुए हाईटेक बाजार की अनुक्रिया भी करनी थी। नई शिक्षा नीति (1986) ने ऐसे उपायों द्वारा अनुक्रिया की जैसे पाठ्यचर्या और भाषायी सुधार, विद्यालय मानचित्रण, विकेन्द्रीकृत मध्याह्न भोजन आदि। यद्यपि नौवीं पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय बढ़ाया गया परंतु यह अभी भी पिछले कार्यों को पूरा करने में पर्याप्त नहीं था। राज्य सरकार ने शिक्षा पर व्यय का बड़ा भाग वहन किया और बाहरी निर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया।

5-9-3 uo mnkjoknh uhfr;k¡ dk ifjp;

सन् 1990 के दशक के बाद कई अन्य राज्येत्तर अभिकर्त्ताओं – वाणिज्यिक निजी क्षेत्र, ग़ैर–सरकारी संगठनों और समुदाय ने प्रारंभिक शिक्षा के उत्तरदायित्व ग्रहण करने में भाग लिया। निजी निवेश को अधिक गुंजाइश, नियमित शिक्षकों की कमी, परा–शिक्षकों की नियुक्ति, विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था आदि लागत प्रभाविकता के लिए लागू किया गए।

5-9-4 fo|ky;h f'k{kk esa lrr pqukSfr;k¡

1) विद्यालयी व्यवस्था के विस्तार के कारण नामांकन बढ़ा है। सुविधावंचित वर्गों की अधिक सहभागिता है, परंतु प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, प्रतिधारण और संतोषजनक समाप्ति की समस्या अभी बनी हुई है।

2) विद्यालयों में सार्वजनिक व्यवस्था का अभाव विद्यालय प्रणाली को प्रभावित करता जा रहा है, शिक्षकों की कमी, शिक्षण–अधिगम दशाएँ और अधिगम उपलब्धियाँ जो असंतोषजनक हैं, ऐसी समस्याएँ हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

3) ग़ैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, अंग्रेजी माध्यम, प्राथमिक विद्यालय, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन माता–पिता के लिए वैकल्पिक विकास के रूप में उभर रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए शहरी–नौकरी बाजार में प्रवेश करने के लिए इच्छुक है। क्रियाशील सरकारी विद्यालयों को केवल वे पसंद करते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक सीढ़ी के न्यूनतम पायदान पर हैं।

4) विद्यालयों में प्रभुत्व और भेदभाव के स्थानों के रूप में कक्षाकक्ष और सरकारी या निजी क्षेत्र में अलगाववाद, अलोकतांत्रिक और प्रभुत्व रखने के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जाति, धर्म, वर्ग, भाषा और लिंग, विद्यालय, शिक्षकों और शिक्षार्थियों के मध्य सम्बन्ध का आधार निर्धारित करता है। भावात्मक, संज्ञानात्मक और शैक्षणिक प्रभाव इन कारकों के पारस्परिक प्रभाव उन बच्चों में स्पष्ट दिखाई देता है जो विद्यालय में भयभीत और अवांछित है।

5-10 lkjka'k

शिक्षा से सम्बन्धित आयोगों और नीतियों ने समय–समय पर सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों पर स्थापित धर्मनिरपेक्ष, समतावाद और अनेकतावादी समाज के रूप में भारत की संवैधानिक दृष्टि से मार्गदर्शन किया। शिक्षा ने अपनी विषयवस्तु और अभिप्राय संविधान से प्राप्त किया है और इस प्रणाली ने सर्व शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए लोकतांत्रिक अवसरों का प्रयोग किया है। स्वतंत्रता के बाद विद्यालय शिक्षा में उपलब्धियाँ बहुत हुई हैं, जैसे 82 प्रतिशत बस्तियों में एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय हैं, 10 लाख विद्यालयों में फैले लगभग 55 लाख शिक्षक 2,025 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं। परंतु कई समस्याएँ हैं जो चिंता के विषय हैं, जैसे प्रारंभिक स्तर पर "ड्राप आउट"; ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे 75 प्रतिशत विद्यालय मल्टी ग्रेड हैं और अधिगम बच्चों के लिए एक बोझ के समान है। शिक्षा में गुणवत्ता सबसे अधिक नाजुक पहलू बना रहता है। शिक्षा में, शिक्षा आयोगों और नीतियों ने आंशिक सफलता के साथ इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। परंतु प्रारंभिक शिक्षा पर सुस्पष्ट विचार का अभाव, निधि की कमी और परियोजना परिचालन करने में दुर्बल राजनीतिक वचनबद्धता, वांछित परिणाम प्राप्त करने के मार्ग में खड़ा हुआ है। जैसे ही राजनीतिक और आर्थिक भूदृश्य परिवर्तन होता है, निजी अभिकर्त्ताओं की होड़ में प्रवेश करते हैं और

राज्य ने अपनी भूमिका आगे अधिक कम कर दी है। परंतु आशा की किरण “शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – 2005 है, जो विद्यालय में प्रत्येक बच्चे के लिए अधिगम आनंदप्रद अनुभव बनाने के लिए वचनबद्ध है।

5-11 lanHkZ xzaFk ,oa mi;ksxh iBu lkexzh

अग्रवाल, वाई. (1998). *एक्सेस एंड रिटेंशन दी इम्पैक्ट ऑफ डी.पी.ई.पी. : नेशनल ओवरव्यू*, नई दिल्ली : न्यू एजूकेशनल कंस्लटेंट्स इंडिया।

एलटीकर, ए.एस. (1965). *एजूकेशन इन एनीसेंट इंडिया,* नंदकिशोर एंड ब्रदर्स, वाराणसीः भारत।

बिहार सरकार (2007). *रिपोर्ट ऑफ दी कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन (2007).* बिहार सरकार, पटनाः भारत।

गोविंदा, आर. एवं बंधोपयाध्याय, एम. (2008). *एक्सेस टू एलिमेंटरी एजूकेशन इन इंडियाः कंट्री एनालिटीकल रिव्यू ,* सी.आर.ई.ए.टी.ई. (क्रिएट) एवं एन.यू.ई.पी.ए. (न्युपा). नई दिल्लीः भारत।

गोविंदा, आर. एवं जोसफीनी, याई. (2004). *पराटीचर्स इन इंडियाः ए रिव्यू ,* राष्ट्रीय शिक्षा, नियोजन और प्रशासन संस्थान, नई दिल्लीः भारत।

भारत सरकार (1995). *पर्सन्स विद डिसएबिलिटी (इक्यूल ओपर्चिनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फूल पार्टिसिपेशन) एक्ट 1995,* सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

कुमार, के., प्रियम, एम. एवं सक्सेना, एस. (2001). लुकिंग बिआउण्ड दी स्मोकस्क्रिनः डी.पी.ई.पी. एंड प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, *इकानॉमिक एंड पॉलिटिक्ल वीकली,* खंड 36, सं. 7 (फरवरी 17–23, 2001) प . 560–568।

लिक्रक, एफ. (2002). *दी इम्पेक्ट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी रिफार्म्स ऑन दी स्कूल सिस्टमः ए फील्ड स्टडी ऑफ ई.जी.एस. एंड ओदर्स प्राइमरी स्कूलस इन मध्यप्रदेश,* ओकेजन पेपर सं. 5, सी.एस.एच., दिल्ली : भारत।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2010–11). *एनयुएल रिपोर्ट 2010–11,* विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (1964–66). *रिपोर्ट ऑफ दी एजुकेशन कमीशन 1964–66,* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (1998). *नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 (1992 में संशोधित) नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 के साथ,* शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2005). *रिपोर्ट ऑफ दी सी.ए.बी.ई. कमेटी ऑन गर्ल्स एजुकेशन एंड कॉमन स्कूल सिस्टम (2005),* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2009). *नेशनल नालेज कमीशन – रिपोर्ट टू दी नेशन* (2006–09). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2009–10). *रिपोर्ट टू दी पीपल ऑन एजुकेशन 2009–10*, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2011). *सर्व शिक्षा अभियान, – फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन,* विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय (2009). दी राइट् ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

मुखर्जी, एस. एन. (1964). *एजुकेशन इन इंडिया टूडे एंड टूमारो,* आचार्य बुक डिपो, बड़ौदराः भारत।

नाइक, जे.पी. (1947). *पॉलिसी एंड पर्फोमेंश इन इंडियन एजुकेशन,* इंडियन कांउसिल ऑफ सोशल साईंस रिसर्च, नई दिल्ली : भारत

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (2005). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ., 2005),* नई दिल्लीः भारत।

नरूला, एस. एवं नाइक, जे.पी. (1974). *ए स्टूडेंट'स हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया (1800–1973)*. (छठा संस्करण). नई दिल्ली : मैकमिलन इंडिया लिमिटेड।

पाण्डे, सरोज, (2006). "पैरा टीचर्स स्कीम एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर आल इन इंडियाः पॉलिसी' पर्सपैक्टिव्स एंड चैलेंज फॉर स्कूल इफटीवनेस", *इंटरनेशनल रिसर्च एंड पेडागोगी*, 32 (3). 319–34

प्रीटचेट, लॉ एवं पाण्डे, वी. (2006). *मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन वर्क ऑफ इंडिया'ज रूरल पूअरः ए प्रोपोजल फॉर इफेक्टीव डिसेंट्रलाइजेशन*, सोशल डेवलेपमेंट पेपर्स, साउथ एशिया सीरिजस, 95, वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन, डीसी।

रावत, पी. एल. (1970). *हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन*, राम प्रसाद एंड सन्स, आगराः भारत

lanHkZr osclkbV

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/keyword/education-bill\28197579_1_primary-schools-equal-education-education-cess.htm

http://ncf2005.blogspot.com/2009/07/National Curriculum Framework 2005 - A Study Guide.htm

URL: http://www.jstor.org/stable/4410292 Retrieved on 25è01è2012

http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/11th/11_v2/11v2_ch1.pdf

5-12 ckèk Á'uk d: mÙkj

1) – शिक्षण की विधियों, पाठ्यपुस्तकों और परीक्षा की प्रणाली में सुधार,

– विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम;

– उच्चतर माध्यमिक प्रणाली का प्रस्थापन; और

– त्रिभाषा सूत्र।

2) कोठारी आयोग की असाधारण विशेषताएँ और बल क्षेत्र इस प्रकार हैं: (i) शैक्षिक पुनःसंरचना के लिए उसका व्यापक दृष्टिकोण और (ii) भारत के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के लिए रूपरेखा बनाने का प्रयास।

3) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हमारे ज्ञान सम्बन्धी संस्थाओं और आधारभूत संरचना के सुधार के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था, जिससे भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। सिफारिशों के लिए आप अनुभाग 5.3.4 देख सकते हैं।

4) नई शिक्षा नीति, 1986 ने प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधन सुधारने के लिए आपरेशन ब्लेक बोर्ड प्रारंभ किया। अधिकांश प्राथमिक शिक्षक मानव और नैतिक संसाधन दोनों के आधारभूत सुविधा के अभाव में चल रहे थे, यह इसकी प्रासंगिकता है।

5) – सभी बच्चों का मूल्यांकन, नामांकन और प्रतिधारण;

– विद्यालय परिवेश में सुधार कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना; और

– बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

6) सामान्य विद्यालय प्रणाली का अभिप्राय ऐसी प्रणाली से है जो छात्रों की जाति, धर्म, सामुदायिक भाषा, लिंग, आर्थिक दशा, साप्ताहिक प्रस्थिति और मानसिक क्षमता को ध्यान में रखे बिना सभी बच्चों को उचित गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करता है। सभी के लिए उचित शिक्षा निम्नलिखित द्वारा प्रदान करने की आशा की जाती है। न्यूनतम भौतिक सुविधाएँ, शिक्षकों की व्यावसायिक गुणवत्ता, विविधीकृत और लचीले पाठ्यचर्या का प्रयोग, समग्रात्मक शैक्षणिक विधि, बाल मैत्रीपूर्ण और उदार शिक्षा और लिंग तथा सामाजिक पूर्वाग्रहों से मुक्त।

7) प्रश्न का उत्तर देने में 5.5.3 आप की सहायता कर सकता है।

8) स्वयं अभ्यास करें।

9) स्वयं अभ्यास करें।

10) प्रारंभिक शिक्षा के सम्बन्ध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से भिन्न थी क्योंकि निम्नलिखित के लिए विशाल बजट व्यवस्था थी; प्रारंभिक शिक्षा के विकास, निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा बच्चों का अधिकार, सर्वजनीन नामांकन और प्रतिधारण शीर्ष एजेण्डा था।